छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

सी.बी.डी.कमर्शियल कॉम्पलेक्स टॉवर ''सी'' 6 फ्लोर सेक्टर 21 मुख्यालय नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग) 492002

खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में धान/खाद्यान्न के परिवहन कार्य हेतु जिला– दंतेवाड़ा में पुनः अल्पकालीन निविदा हेतु ई–निविदा प्रपत्र

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्

सी.बी.डी.कमर्शियल कॉम्पलेक्स टॉवर ''सी'' 6 फ्लोर
सेक्टर 21 मुख्यालय नवां रायपुर, अटल नगर (छ.ग) 492002

धान/खाद्यान्न के परिवहन कार्य हेतु ई–निविदा
खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 की विषय सूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक से पृष्ठ क्रमांक तक
01	निविदाकार का नाम,पता एवं निविदा जमा/खोलने की तिथि	2
02	निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें परिशिष्ट –1	3 से 12
03	निविदाकर्त्ता का परिचय एवं विवरण भाग (क) तकनीकी बीड हेतु परिशिष्ट –2	13 से 14
04	धान/खाद्यान्न परिवहन हेतु निविदा दर भाग (ख) वित्तीय बीड हेतु परिशिष्ठ –3	15 से 16
05	घोषणा पत्र परिशिष्ट – 4	17
06	निविदाकर्त्ता से इकरारनामा का प्रारूप परिशिष्ट –5	18 से 21
07	सत्यनिष्ठा संधि परिशिष्ट –6	22 से 27
08	शपथ पत्र परिशिष्ट –7	28

1) समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें प्रस्तुत करें ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके।

प्रबंध संचालक

कार्यालय छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

सी.बी.डी.कमर्शियल कॉम्पलेक्स टॉवर ''सी'' 6 फ्लोर
सेक्टर 21 मुख्यालय नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग) 492002

धान/खाद्यान्न परिवहन कार्य हेतु पुनः अल्पकालीन ई–निविदा फार्म खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 एवं 2024–25

1. निविदाकर्ता का नाम व पता — श्री/सुश्री.....
   पिता/पति का नाम.....
2. निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम, पूर्ण पता एवं मोबाईल नं. — .....

छ.ग राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. द्वारा वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 के लिए ऑनलाईन ई–निविदा के माध्यम से परिवहन कार्य हेतु प्रतिष्ठित परिवहनकर्ताओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ऑनलाईन ई–निविदा हेतु शेड्युल निम्नानुसार है :–

Bid start Date	07-10-2023	05.00 PM
Bid Due Date	26-10-2023	05.00 PM
Bid Open Date from	27-10-2023	12.00 PM

टेक्निकल बीड के परीक्षण उपरांत फाईनेषियल बीड खोलने की कार्यवाही की जावेगी।

टिप्पणी

1. निविदा खोलने के लिये निर्धारित तारीख को यदि अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के पश्चात् अगले कार्यकारी दिवस को खोली जायेगी लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये गये समय में परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है।
3. निविदा दस्तावेज दिनांक 26.10.2023 को शाम 05.00 बजें तक ऑनलाईन जमा किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज जमा करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। निविदाकारों को यह सुझाव दिया जाता है कि निविदा जमा करने की ऑनलाईन निर्देश एवं प्रकिया का विधिवत् अध्ययन कर ले एवं अंतिम समय के इंतजार किए बिना पर्याप्त समय पूर्व, निर्धारित प्रकिया पूर्ण कर ऑनलाईन निविदा जमा किया जाना चाहिए ताकि अंतिम समय में साफ्टवेयर/कनेक्टीवीटी आदि में समस्या होने पर निविदा जमा करने में कठिनाई ना हो। अंतिम समय में साफ्टवेयर/कनेक्टीवीटी आदि में तकनीकी समस्या आने के कारण ऑनलाईन निविदा दस्तावेज जमा नही हाने पर समयावृद्वि करने हेतु दावा आपत्ति, अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा और ना ही मैन्युअल निविदा स्वीकार की जावेगी।
4. निविदा प्रपत्र वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा फार्म की राशि रू 5000 (पांच हजार रूपये मात्र) आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./किसी भी अनुसूचित बैंक से ''छ.ग राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित'' पेबल (Payable संबंधित जिला) के पक्ष में डी.डी. (डिमांड ड्रॉफ्ट) बनवाकर डी.डी की छायाप्रति/ऑनलाईन ट्राजेक्शन पावती को ऑनलाईन प्रस्तुत की जानी होगी तथा डी.डी. की मूल प्रति निविदा की अंतिम तिथि पर संबंधित जिला कार्यालय में जमा किया जाना होगा एवं रूपये 311/–(तीन सौ ग्यारह रूपये मात्र) बीड सबमिशन फीस वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in में निर्धारित लिंक में चिप्स के एकाउन्ट में ऑनलाईन के माध्यम से जमा किया जाना होगा।
5. यदि विपणन संघ द्वारा आमंत्रित निविदा को अपरिहार्य कारणो से निरस्त किया जाता है तो निविदा फार्म की राशि वापसी योग्य नही होगी।
6. निविदा दस्तावेज जमा करने से पहले ही निविदाकार का ई प्रोक्युरमेंट वेबासाईट http://eproc.cgstate.gov.in में पंजीयन हो तथा डिजिटल सिग्नेचर (डीएससी) उपलब्ध हो यह सुनिश्चित हो।
7. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा प्रपत्र में पृष्ठ क्रमांक 1 से 26 तक है जिसे ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है।

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर नाम एवं पदमुद्रा

परिशिष्ट – 1

निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें

निविदाकार, जिनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के संबंधित जिला कार्यालय का **उपार्जन केन्द्र से संग्रहण केन्द्र** में जिला एवं अंतर्जिला धान/खाद्यान्न परिवहन कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है, वे निम्नानुसार नियमों एवं शर्तों का भली–भांति अध्ययन कर लेवें। यह दिशा निर्देश तथा शर्तें निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित की जाने वाली संविदा के भाग होंगे :–

1. निविदाकार द्वारा निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत की जावेगी।

1.2 एक जिलें के लिए एक ही निविदा भरी जावेगी।

1.3 निविदाकर्ता निविदा के परिशिष्ट 1 अनुसार अनिवार्य दस्तावेज की स्वप्रमाणित/नोटरी से प्रमाणित प्रति स्कैन कर ऑनलाईन संलग्न करें। यह सभी दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न नहीं होने पर निविदाकार की निविदा अस्वीकार की जावेगी।

1. निर्धारित दस्तावेज शुल्क/अमानत राशि आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से विपणन संघ मुख्यालय के आई.डी.बी.आई. बैंक के खाता कमांक–2134104000000046, IFSC - IBKL0002134, नवा रायपुर, छ.ग. में जमा किया जाना होगा अथवा संबंधित जिला कार्यालय के खाता में अथवा छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. संबंधित जिले के Bank Guarantee/DD/ऑनलाईन ट्रांजेक्शन पावती की छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करें। **बी.जी./DD** की मूल प्रति निविदा की अंतिम तिथि पर संबंधित जिला कार्यालय में जमा किया जाना होगा।
2. रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ जिले के निविदाकार के पास स्वयं के कम से कम पन्द्रह ट्रक तथा शेष अन्य जिले के निविदाकार के पास कम से कम दस ट्रक के रजिस्ट्रेशन (डंपर/टिप्पर ट्रक में शामिल नही है) एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा (निविदा सूचना दिनांक से निविदा खोलने दिनांक तक की अवधि का) जारी वाहन का विवरण (vehicle particular) की सत्यापित प्रति जिसमें फिटनेस,टैक्स एवं बीमा की वैद्यता उल्लेखित हो तथा निविदा प्रस्तुत करने की तिथि में वैध होना आवश्यक है, प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा के साथ प्रत्येक जिले हेतु प्रस्तुत ट्रक संख्या एवं रजिस्ट्रेशन नं. पृथक–पृथक प्रस्तुत करना होगा। एक जिले हेतु प्रस्तुत ट्रक दूसरे जिले हेतु प्रस्तुत करना पाया जाता है, तो निविदा अमान्य की जावेगी।
3. भागीदार फर्म होने की स्थिति में भागीदार विलेख की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि। रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार के विभाग, प्राधिकरण निगम बोर्ड इत्यादि के अतिरिक्त अन्य संस्थानों में विगत पांच वर्षो में से किन्ही दो वर्षो का (प्रत्येक वित्तीय वर्ष में) निम्नानुसार परिवहन कार्य का अनुभव संबंधित प्रमाण–पत्र/दस्तावेज निविदा के साथ प्रस्तुत करें।

क्र.	जिले का नाम	कार्यानुभव राशि
1	रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ	50 लाख
2	कांकेर, जगदलपुर, कवर्धा, मुंगेली, सुरजपुर, अंबिकापुर	10 लाख
3	कोरबा, जशपुर, बलरामपुर, कोरिया, नारायणपुर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, सक्ती, सारंगढ़–बिलाईगढ़, मोहला–मानपुर–अ.चौकी,खैरागढ़–छुईखदान–गंडई, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	05 लाख

- शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार के विभाग, प्राधिकरण निगम बोर्ड आदि के लिए संबंधित संस्थानों से परिवहन कार्य से संबंधित वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण पत्र (इसके लिए सी.ए द्वारा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है)
- अन्य संस्थानों से संबंधित प्रमाण पत्र हेतु निविदाकर्ता को सी.ए. द्वारा प्रमाणित (परिवहन कार्य का वार्षिक टर्न ओवर दर्शाते हुए प्रमाण पत्र) प्रमाण पत्र।

5. परिवहन कार्य में नियोजित श्रमिकों हेतु आंवटित पी.एफ. कोड नं. एवं विगत दो वर्ष में जमा कराये गये पी.एफ. का प्रमाण–पत्र चालान।
6. निविदाकार यदि कम्पनी है तो, उसके पार्षद सीमा नियम, पार्षद अन्तर नियमों की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं निगमन का प्रमाण–पत्र। फर्म/कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र अथवा मुख्तयारनामा नोटरी द्वारा सत्यापित।
7. आयकर स्थायी लेखा संख्या प्रपत्र एवं विगत तीन वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 की आयकर विवरण की सत्यप्रतिलिपि।

1.4 निविदाकार को निविदा फार्म भरने के पूर्व संबंधित जिले के **उपार्जन केन्द्रों/धान भण्डारण केन्द्रों** तक परिवहन करने के लिए आवागमन स्थान तथा स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में भली–भांति अवलोकन कर आश्वस्त हो लेना चाहिये, दर स्वीकृति उपरान्त उक्त आधारों पर स्वीकृति दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। निविदाकारों से अपेक्षा है कि निविदा भरने के पूर्व उपरोक्त जानकारी का भी भली–भांति अध्ययन कर लें।

1.5 निविदाकार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार का इकरारनामा एवं अन्य समस्त दस्तावेज प्राप्त कर लिया है। आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर लेने का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का है।

1.6 निविदाकार से अपेक्षित है कि, वह संबंधित मार्ग का भी अध्ययन कर लें। यदि किसी कारणवश नियमित/प्रचलित मार्ग बंद रहता है तो परिवर्तित मार्ग से परिवहन किये जाने पर कोई अतिरिक्त चार्ज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

1.7 संग्रहण केन्द्र/जिला कार्यालय पर अपना सम्पर्क कार्यालय और कार्यरत प्रतिनिधि रखना होगा, जिसका नाम, पता, मोबाईल नंबर, प्रमाणित हस्ताक्षर एवं छायाचित्र अनुबंध के साथ प्रमाणित कर संबंधित जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। निविदाकर्ता द्वारा नियोजित प्रत्येक श्रमिक/कर्मचारी को भुगतान करने की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी तथा उसके भविष्यनिधि उपादान अन्य समस्त वैधानिक दायित्वों आदि के भुगतान का दायित्व भी निविदाकर्ता का होगा।

1.8 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी बीड सही पाये जाने पर ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

1.9 निविदा में प्रस्तुत अभिलेखों पर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

1.10 समान्यतः सभी दूरी के उपार्जन केन्द्रों से धान का परिवहन शासन द्वारा निर्धारित नीतियो के तहत जिला स्तर पर कलेक्टर के अनुमोदन अनुसार किया जावेगा, इस हेतु कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।

1.11 अनुबंध एवं सत्यनिष्ठा संधि सफल निविदाकार द्वारा पृथक से टेण्डर अवार्ड होने के बाद संबंधित जिला कार्यालय में संपादित किया जावेगा।

1.12 धान उठाव के समय ट्रकों के लोडिंग में लगने वाले समय की निगरानी करने हेतु एन.आई. सी. द्वारा विशेष मोबाईल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। प्रत्येक परिवहनकर्ता को अनिवार्य रूप से स्मार्ट फोन/टैबलेट में उक्त ऐप को डाउनलोड करना होगा। उपार्जन केन्द्र एवं संग्रहण केन्द्र में ऐप के माध्यम से धान उठाव में वाहनों को धान परिदान हेतु आने–जाने के समय पर नियंत्रण रखा जावेगा। उक्तएप्लीकेशन का उपयोग अनुबंधित परिवहनकर्ता को करना अनिर्वाय होगा।

1.13 परिवहनकर्ता को टी.ओ जारी होने के पश्चात् 72 घंटे के अंदर परिवहन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में विपणन संघ को यह अधिकार होगा कि किसी अन्य परिवहनकर्ता से परिवहन कर अंतर की राशि संबंधित परिवहनकर्ता से वसूली जावेंगी तथा आगामी वर्षो के लिए परिवहनकर्ता को कालीसूची में दर्ज किया जावेंगा।

1.14 **परिवहनकर्ता द्वारा धान परिवहन में नियोजित समस्त वाहनो में जी.पी.एस सिस्टम लगवाना अनिवार्य होगा। बिना जी.पी.एस के वाहनो के लिए डी.एम. पर्ची जारी नहीं किया जावेगा।** खुली एवं पारदर्शी निविदा प्रकिया के माध्यम से मार्कफेड द्वारा विभिन्न जी.पी.एस आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जावेंगा। सूचीबद्ध जी.पी.एस आपूर्तिकर्ताओं में से किसी भी जी.पी.एस. मेक/मॉडल का चुनाव करने के लिए परिवहनकर्ता स्वतंत्र होगा तथा जीपीएस सिस्टम पर होने वाला व्यय की राशि परिवहनकर्ता के देयक से समायोजित की जावेंगी।

1.15 परिवहनकर्ता द्वारा धान परिवहन में नियोजित स्वंय के वाहनों के अलावा यदि अन्य किसी वाहन का उपयोग किया जाता है तो अन्य वाहनों की सूची तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज संबंधित जिला विपणन अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

क.	जिले का नाम	अमानत राशि प्रत्येक जिले हेतु (लाख रूपये में)
1	रायपुर	10.00
2	बलौदाबाजार	20.00
3	गरियाबंद	10.00
4	धमतरी	10.00
5	महासमुंद	20.00
6	दुर्ग	10.00
7	बलोद	20.00
8	बेमेतरा	10.00
9	राजनांदगांव	20.00
10	कबीरधाम (कवर्धा)	10.00
11	बिलासपुर	20.00
12	मुंगेली	20.00
13	कोरबा	1.00
14	जांजगीर	20.00
15	रायगढ़	20.00
16	जशपुर	0.50
17	अंबिकापुर	10.00
18	सूरजपुर	20.00
19	ब्लरामपुर	1.00
20	कोरिया	0.50
21	कांकेर	20.00
22	जगदलपुर	20.00
23	नारायणपुर	0.50
24	कोण्डागांव	1.00
25	दंतेवाड़ा	1.00
26	सुकमा	0.50
27	बीजापुर	0.50
28	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	1.00
29	सक्ती	10.00
30	सारंगढ़–बिलाईगढ़	10.00
31	मोहला–मानपरु–अ. चौकी	1.00
32	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	10.00
33	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	0.50

2. <u>निविदा फार्म भरने के दिशा निर्देश</u> :–

2.1 दरें :– निविदा फार्म में दी जाने वाली दरें धान/खाद्यान्न के परिवहन हेतु प्रति टन प्रति कि.मी. होगी।

2.2 ऑनलाईन ई–निविदा प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक एवं समय निविदा फार्म में अंकित है। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।

2.3 कोई भी निविदाकार एक से अधिक जिले के परिवहन का कार्य ले सकता है, किन्तु प्रत्येक जिले हेतु निर्धारित ट्रक होना अनिवार्य होगा।

3. अमानत राशि :–

3.1 प्रत्येक जिले हेतु निविदा के साथ निम्नानुसार अमानत राशि छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. संबंधित जिले के Demand Draft / Bank.Guarantee, 02 वर्ष की वैधता /RTGS/NEFT transaction की छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करें।

3.2 पूर्व कण्डिका (1.3) के अनुसार बिना वांछित दस्तावेज के प्रस्तुत निविदा को अमान्य माना जाएगा।

3.3 निविदाकार द्वारा निविदा स्वीकृति होने के पश्चात् वांछित अभिलेख एवं निर्धारित सुरक्षानिधि जमा करने में असफल होने की स्थिति में अमानत राशि विपणन संघ के हित में जप्त कर ली जावेगी। ऐसी जप्ती की सूचना विपणन संघ को पृथक से निविदाकार को देना आवश्यक नहीं होगा।

3.4 असफल निविदाकार की जमा अमानत राशि दर स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण होने पर वापस कर दी जावेगी। इस अवधि का कोई भी ब्याज विपणन संघ द्वारा देय नहीं होगा।

3.5 सफल निविदाकार द्वारा निविदा के साथ जमा अमानत राशि उसके द्वारा विपणन संघ या किसी अन्य संस्था में अनुबंध न करने के फलस्वरूप जप्त होती है तो ऐसे निविदाकार विपणन संघ की किसी भी इकाई के निविदा में 03 वर्ष के लिए भाग नहीं ले सकेगें।

3.6 विगत 02 वर्षो में शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य संस्थानों में परिवहन कार्य से प्रतिबंधित किये गये एवं परिवहन कार्य को पूर्ण नही करने के कारण उनकी जगह यदि अन्य परिवहनकर्ता से कार्य पूर्ण कराया गया हो तथा काली सूची में दर्ज परिवहनकर्ता निविदा में भाग नही ले सकेगें। इसी तरह विपणन संघ के बकायादार परिवहनकर्ता निविदा में भाग नही ले सकेगे, किन्तु बकायादार परिवहनकर्ता द्वारा विपणन संघ की बकाया राशि मय ब्याज के राशि जमा करने के पश्चात् निविदा में भाग ले सकेगे।

4. निविदा फार्म पर हस्ताक्षर :–

निविदा फार्म पर हस्ताक्षर कर रहा/कर रहे व्यक्तियों के लिए यह प्रमाणित करना अनिवार्य है कि, वे किस हैसियत से निविदा फार्म पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। फर्म के भागीदार फर्म होने की स्थिति में निविदा फार्म में समस्त भागीदारों के नाम का उल्लेख किया जाना है एवं निविदा पर समस्त भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किये जावेगें अथवा सभी भागीदारों द्वारा संबंधित भागीदार के पक्ष में जारी अधिकार पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि निविदाकार एक कम्पनी है तो उसके संचालक मंडल द्वारा पारित संकल्प की सत्यप्रतिलिपि के साथ हस्ताक्षर करने वाले संचालक के पक्ष में अधिकार पत्र जिस हैसियत से निविदाकार निविदा में हस्ताक्षर कर रहा हो उसका प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5. निविदा निष्पादित करना :–

5.1 विपणन संघ के इकाई द्वारा जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जावेगी उसे विपणन संघ की ओर से सूचना मिलने पर तीन दिन (अधिकतम एक सप्ताह) की अवधि में निर्धारित प्रतिभूति राशि जमा कर विपणन संघ द्वारा निर्धारित संविदा 100.00 रूपये (एक सौ रूपये) के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर वांछित कागजात के साथ विपणन संघ के जिला कार्यालय में इकरारनामा निष्पादित करना आवश्यक होगा। इसका निर्धारित प्रारूप संबंधित जिला कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

अ. फर्म/कंपनी के पंजीयन फर्म की सत्यप्रतिलिपि।

ब. आयकर रिर्टन जमा करने की सत्यप्रतिलिपि।

स. पी.एफ. का कोड नंबर।

द. फर्म/कंपनी संरचना विलेख।

इ. परिवहनकर्ता द्वारा निर्धारित कार्य के लिए नियोजित/प्राधिकृत श्रमिकों/कर्मचारियों के नाम एवं पते की सूची जिला विपणन अधिकारी को सौंपेगा।

5.2 सुरक्षानिधि :–

1. सफल निविदाकार को संबंधित जिले के लिये निम्नानुसार सुरक्षानिधि अमानत राशि के अतिरिक्त देनी होगी। सुरक्षानिधि किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. 02 वर्ष की वैधता अवधि के लिए प्रस्तुत करनी होगी।

क्र.	जिले का नाम	सुरक्षा निधी की राशि जिला हेतु (लाख रूपये में)
1	रायपुर	10.00
2	बलौदाबाजार	20.00
3	गरियाबंद	10.00
4	धमतरी	10.00
5	महासमुंद	20.00
6	दुर्ग	10.00
7	बालोद	20.00
8	बेमेतरा	10.00
9	राजनांदगांव	20.00
10	कबीरधाम (कवर्धा)	10.00
11	बिलासपुर	20.00
12	मुंगेली	20.00
13	कोरबा	1.00
14	जांजगीर	20.00
15	रायगढ़	20.00
16	जशपुर	0.50
17	अंबिकापुर	10.00
18	सूरजपुर	20.00
19	बलरामपुर	1.00
20	कोरिया	0.50
21	कांकेर	20.00
22	जगदलपुर	20.00
23	नारायणपुर	0.50
24	कोण्डागांव	1.00
25	दंतेवाड़ा	1.00
26	सुकमा	0.50
27	बीजापुर	0.50
28	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	1.00
29	सक्ती	10.00
30	सारंगढ़–बिलाईगढ़	10.00
31	मोहला–मानपुर–अ. चौकी	1.00
32	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	10.00
33	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	0.50

5.3 सफल निविदाकार द्वारा तीन दिन (अधिकतम एक सप्ताह के भीतर) में इकरारनामा 100 रू. एक सौ रूपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर वांछित अभिलेख एवं सुरक्षानिधि के साथ संपादित करना अनिवार्य होगा और ऐसा न करने पर अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी।

6. विविध :–

6.1 एल–1 निर्धारण की कार्यवाही निविदाकार द्वारा अनुसूची की दर के आधार पर प्रस्तावित कमी/वृद्धि के प्रतिशत अनुसार सभी स्लैब के लिये प्रस्तुत किये गये दर के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

निविदाकार को औचित्य सहित कारण (price justification) जिला स्तरीय कमेंटी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसका जिला स्तरीय कमेंटी द्वारा परिक्षण कर मान्य/अमान्य किया जावेगा। इसके साथ जिला स्तरीय समिति द्वारा निविदा में प्राप्त दर पर निगोशियेशन कर सकेगा।

- यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा न्यूनतम दर पर परिवहन का कार्य नही किया जाता है तो निविदाकर्ता की जमा अमानत राशि राजसात की जावेंगी एवं तीन वर्ष हेतु काली सूची में दर्ज किया जावेंगा एवं कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रबंध संचालक की अनुमति पश्चात् नजदीकी जिला के सफल निविदाकर्ता को अन्य जिला/जिलों को परिवहन कार्य की अनुमति दी जायेगी एवं उक्त परिवहनकर्ता अन्य जिले का परिवहन कार्य करने हेतु बाध्य होगा। उक्त स्थिति में यदि किसी भी जिला के परिवहनकर्ता को अन्य जिला का परिवहन कार्य दिया जाता है तो स्वयं के जिला के स्वीकृत परिवहन दर एवं अन्य जिला (जहॉ धान परिवहन कार्य किया जाना है) की स्वीकृत दर में से न्यूनतम दर लागू होगा।
- विपणन संघ द्वारा स्वीकृत निविदाकार के साथ अनुबंध रहते हुये जिला विपणन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि जिले में जिस प्रकार का भी परिवहन कार्य कराया जावेगा निविदाकार द्वारा किया जावेगा एवं जिला विपणन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जिलें के स्वीकृत दरों पर कही से भी कही परिवहन कार्य कराया जा सकता है जो निविदाकार को मान्य होगा।
- **जिले मे स्वीकृत दर पर अनुबंधित परिवहनकर्ता से जिला का समस्त धान का उपार्जन केन्द्रों से संग्रहण केन्द्र का परिवहन कार्य करना होगा तथा निर्देशानुसार अन्य जिलों में भी धान परिवहन कार्य करने हेतु परिवहनकर्ता बाध्य होगा।** यदि स्वयं के जिला से अन्य किसी जिला में धान परिवहन किया जावेगा तो मूल स्थल (point of Origin) की स्वीकृत परिवहन दर पर भुगतान देय होगा।

6.2 जिले में परिवहन कार्य को दृष्टिगत रखते हुए जिला विपणन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि उपार्जन केंन्द्रों का समूह बनाकर स्वीकृत परिवहन दर पर किसी भी परिवहनकर्ता से कार्य कराया जा सकता है। जिसके लिए संबंधित परिवहनकर्ता को निर्धारित प्रतिभूति जमा कराकर निर्धारित प्रारूप में अनुबंध की अनिवार्यता होगी।

6.3 किसी भी निविदा को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार जिले के कलेक्टर/प्रबंध संचालक छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को होगा।

6.4 निविदाकार को निविदा में कोई शर्त सम्मिलित नहीं करनी है,क्योकि सशर्त निविदा विचार योग्य नहीं होगा। एक बार निविदा खोलने के पश्चात् निविदाकार के द्वारा दर संबंधी प्रस्तुत की जाने वाली किसी भी आवेदन पर विचार मान्य नहीं होगा।

6.5 निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित निविदा प्रस्तुत करने का यह अभिप्राय माना जावेगा कि निविदाकार ने निविदा की सभी शर्तों एवं कार्य पद्धति कार्य की महत्ता आदि समझ ली है और उन्हें स्वीकार कर लिया है।

6.6 निविदाकार द्वारा परिवहन हेतु अनुसूची की दर के आधार पर वृद्धि/कमी के प्रतिशत में अपनी दरे प्रस्तावित की जाये।

6.7 निविदा की तिथि में लागू सभी प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर शामिल होगें। आयकर एवं अन्य करों की स्त्रोत पर कटौती प्रचलित नियमानुसार की जाएगी। यदि सफल निविदाकार द्वारा किसी भी प्रकार के करों अथवा अन्य वैधानिक उत्तरदायित्वों के भुगतान में अथवा पालन में लापरवाही बरती जाती है तो विपणन संघ को अधिकार होगा कि ऐसे सभी उत्तरदायित्वों को पेटे भुगतान की गई राशि की सफल निविदाकार से किसी भी प्रकार की देय राशि से वसूल कर लें।

6.8 भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय द्वारा प्रचलित सभी वैधानिक कर परिवहनकर्ता द्वारा देय होगा। आशय यह है कि निविदा दरों में उपरोक्त सभी प्रकार का कर शुल्क शामिल है।

6.9 निविदाकार द्वारा पूर्व में जमा की गयी अमानत राशि अथवा किसी प्रकार की राशि वर्तमान निविदा के लिए मान्य नहीं होगी तथा जमा की गई अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जावेगा।

6.10 इकरारनामा निष्पादित करते समय सफल निविदाकर्ता को सुरक्षानिधि के रूप में निर्धारित राशि निर्धारित प्रारूप में बैंक गारंटी अथवा एफ.डी.आर. संबंधित जिले के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा, जिस पर विपणन संघ द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

6.11 सफल निविदाकार को संग्रहण केन्द्र से सम्बद्ध उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी की सतत जानकारी सीधे खरीदी केन्द्र से लेकर धान परिवहन के कार्य को समय सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा, अन्यथा परिवहन के अभाव में होने वाली क्षति की वसूली संबंधित परिवहनकर्ता से की जावेगी।

6.12 जिला विपणन अधिकारी द्वारा ऑनलाईन निविदाओं को जिला स्तरीय समिति के समक्ष खोला जावेगा।

6.13 सफल निविदाकार को अनुबंध संबंधित परिवहन इत्यादि कार्य करने पर प्रत्येक सप्ताह में अपना बिल संबंधित जिला विपणन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

6.14 परिवहनकर्ता के पास स्वयं का जिले में निर्धारित संख्या अनुसार ट्रक होना अनिवार्य है। इससे अधिक स्वयं की ट्रकों की जानकारी भी निविदा में दें। इसके अतिरिक्त जो ट्रकें उनसे संबद्ध होंगें उनकी सूची इकाई प्रमुख अथवा जिला विपणन अधिकारी जिसके क्षेत्र में कार्य किया जाना है उसे लिखित में अनुबंध के समय प्रस्तुत करना होगा तथा उन्हीं ट्रको से परिवहन कार्य कराया जावेगा।

6.15 यदि संग्रहण केन्द्रों में हमाल ठेकेदार द्वारा धान बोरा की अनलोडिंग नही की जाती है तो प्रबंध संचालक के अनुमति उपरांत अनलोडिंग दर के संबंध में हमाली निविदा के माध्यम से पृथक से निर्णय लिया जावेगा।

6.16 धान परिवहन में नियोजित समस्त वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगवाना अनिवार्य है। धान के परिवहन में पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा सत्यापित दूरी एवं जीपीएस दूरी में से न्यूनतम दूरी के आधार पर देयक का भुगतान किया जावेगा।

6.17 जिलें में परिवहन कार्य को दृष्टिगत रखते हुए जिला विपणन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि उपार्जन केन्द्रों का समूह बनाकर स्वीकृत परिवहन दर पर किसी भी परिवहनकर्ता से कार्य कराया जा सकता है जिसके लिए संबंधित परिवहनकर्ता से निर्धारित प्रारूप में अनुबंध की अनिवार्यता होगी।

6.18 निविदाकार के दिवालिया होने अथवा उनके व्यवसाय बंद होने अथवा लेनदारी शेष होने अथवा अनुबंध के किसी भी प्रावधान या अनुबंध के किसी भी नियम व शर्तों के पालन करने में विफल होने की स्थिति में प्रबंध संचालक, विपणन संघ को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा अनुबंध की शेष समयावधि में **रिस्क एण्ड कॉस्ट** के तहत निविदाकार से शेष अनुबंध अवधि में विपणन संघ को हुई हानि की वसूली निविदाकार से की जावेगी।

7. संविदा की अवधि

7.1 जिस परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत की जाती है, उसे स्वीकृत दरों पर खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 के लिये परिवहन करने के लिये अनुबंध करना होगा।

7.2 निविदा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक वैध रहेगी।

7.3 निष्पादित किये गये निर्धारित अनुबंध की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् आपसी सहमति पर विपणन संघ उसी स्वीकृत दर पर कार्य कराने हेतु तीन माह के खण्ड में अधिकतम एक वर्ष तक के लिये वृद्वि की जा सकेगी।

7.4 संविदा की अवधि में कोई निश्चित कार्य देने की गारंटी विपणन संघ की नहीं रहेगी।

8. कार्मिक एवं वैधानिक उत्तरदायित्व :–

8.1 धान/खाद्यान्न उतराई छल्ली लगाने के लिए क्रमशः उतराई करने वाले, तौलाई करने वाले एवं छल्ली लगाने वाले श्रमिकों/कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा।

8.2 यह आवश्यक होगा कि अनुबंध करने के पूर्व सफल निविदाकार अथवा उनके द्वारा नियुक्त श्रमिक ठेकेदार को प्रचलित सभी अधिनियमों के अधीन अनुज्ञप्ति पत्र लेकर संबंधित जिला कार्यालय में देना होगा, कार्य समाप्त होने पर सफल निविदाकार को संबंधित जिले में कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम के अंतर्गत नो–ड्यूस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उसके उपरान्त ही अमानत राशि का भुगतान हो पायेगा। यदि कार्य समाप्ति के एक माह के भीतर सफल निविदाकार द्वारा उपरोक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अमानत राशि की बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. राजसात की जायेगी।

8.3 समस्त श्रम अधिनियमों के अधीन परिवहनकर्ता समस्त आवश्यक अभिलेख संधारित करेगा एवं आवश्यक प्रपत्र/विवरण संबंधित अधिकारियों को समय पर प्रस्तुत करेगा और प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप उद्भूत हुए समस्त दायित्वों के लिए परिवहनकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा।

8.4 समस्त श्रम अधिनियमों के अधीन परिवहनकर्ता का दायित्व होगा कि, वह उसके द्वारा नियोजित समस्त श्रमिकों/कर्मचारियों के लिए नियमानुसार आवश्यक समस्त सुविधाएं हित लाभ एवं व्यवस्था उपलब्ध करावें। इस संबंध में विपणन संघ का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

8.5 परिवहनकर्ता उसके द्वारा नियोजित समस्त श्रमिकों/कर्मचारियों के नाम, पता एवं फोटो विपणन संघ के जिला विपणन अधिकारी को अनुबंध के साथ कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्तुत करें। यदि उसमें कोई परिवर्तन होता है, तो वह तत्काल जिला विपणन अधिकारी को सूचित करेगा एवं उनके द्वारा किये गये कार्य एवं व्यवहार के लिए वह उत्तरदायी माना जावेगा।

8.6 परिवहन कार्य के दौरान घटित किसी दुर्घटना का उत्तरदायित्व स्वयं निविदाकर्ता का होगा। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 अथवा कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम 1952 के अधीन समस्त राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता पर होगा।

8.7 यदि परिवहनकर्ता अथवा उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारी अथवा ठेकेदार द्वारा किये गये किसी कृत्य की कोई जवाबदारी अथवा कोई भार विपणन संघ को वहन करना पड़ता है तो उस राशि को परिवहनकर्ता की जमा प्रतिभूति राशि में से अथवा उसके बिलों में से वसूल किया जायेगा।

8.8 परिवहन के दौरान आने वाले नाकों, पुलों आदि पर टोल टैक्स व अन्य शुल्क प्रभार तथा प्रचलित देय कर को परिवहनकर्ता को स्वयं वहन करना होगा, विपणन संघ द्वारा उनका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। आशय यह है कि स्वीकृत दर के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान देय नहीं होगा।

8.9 संबंधित जिला कलेक्टर एवं प्रबंध संचालक द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था के तहत परिवहन कार्य में गति लाने हेतु जो भी निर्देश समय–समय पर दिये जाते है इसका पालन करना अनिवार्य होगा।

9. विवादों का निराकरण –

9.1 इस निविदा से संबंधित तथा अनुबंध से संबंधित किसी भी विषय, शर्त एवं किसी भी शर्त की व्याख्या आदि से संबंधित, इस अनुबंध के पूर्व इस अनुबंध एवं निविदा के पालन में समय अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न हुए किसी भी विवाद को किसी पक्ष द्वारा एक मात्र आर्बीट्रेटर को उस विवाद के निराकरण के लिये संदर्भित किया जावेगा। यह आर्बीट्रेटर प्रबंध संचालक विपणन संघ या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधी होगें और उनके द्वारा दिया गया निर्णय/एवार्ड दोनों पक्षों को बंधनकारी एवं मान्य होगा।

9.2 आर्बीट्रेशन द्वारा विवादों को निपटाने के लिये की गई कार्यवाही,आर्बीट्रेशन कॉंन्सिलिएशन एक्ट, 1996 (नं. 26 ऑफ 1996) के अंतर्गत होगी और ऐसे समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र रापयुर न्यायालय होगा।

10. व्यवहार एवं आचरण –

परिवहनकर्ता एवं उसके द्वारा नियोजित समस्त कर्मचारी/श्रमिक विपणन संघ के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से सौहार्द्रपूर्ण तरीके से सामजस्य स्थापित करते हुए परिवहन कार्यो के सुचारू रूप से संपादन में भी आवष्यक सहयोग प्रदान करेगें। परिवहनकर्ता की अथवा उसके कर्मचारियों की अथवा उसके कर्मचारियों/अधिकारियों की विपणन संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों से झगडालु दबाव की मनोवृत्ति/प्रवृत्ति अथवा अभद्र अशोभनीय व्यवहार प्रदर्शित होने पर विपणन संघ के जिला विपणन अधिकारी/संबंधित अधिकारी की रिपार्ट पर विपणन संघ के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे उसके अनुबंध को तत्काल समाप्त कर दे एवं उसके इस प्रकार की कृत्यों के लिये आगामी निविदाओं में उस कार्य विशेष के लिये किसी भी हैसियत से भाग लेने से वंचित कर दे एवं अन्य क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर वसूली निर्धारित करे।

11. दण्ड :–

सफल निविदाकार द्वारा निविदा शर्तो का सही ढ़ग से पालन नहीं करने एवं अनुबंध शर्तो के उल्लंघन करने पर निविदाकार को विपणन संघ द्वारा काली सूची में आगामी दो वर्षो के लिये दर्ज किया जावेगा।

12. निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन/शुद्धि पत्र जारी किया जाता है वह निविदा का भाग माना जावेगा जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों मे अथवा ई–प्रोक्यूरमेंट की वेबसाईट अथवा विपणन संघ की वेबसाईट में अपलोड किया जावेगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर

परिशिष्ट –2

भाग – "क"

(तकनीकी बीड हेतु)
निविदाकर्ता का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

प्रति,

जिला विपणन अधिकारी,
.....छ.ग.

महोदय,

क्र.	विवरण	
1.	निविदाकार का पूरा नाम व पता	
2.	दूरभाष कमांक कार्यालय निवास	
3.	निविदाकार की फर्म का स्वरूप(फर्म / कंपनी / स्वामित्व / हिन्दू अविभाजित परिवार)	
4.	मुखिया (कर्ता) का नाम व पता	
5.	यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदारों के नाम / पते (भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
6.	फर्म की स्थापना, पंजीयन कमांक एवं दिनांक (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
7.(क)	वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 आयकर विवरणी की प्रमाणित प्रति संलग्न करें (प्रति संलग्न करें)	
(ख)	आयकर स्थाई लेखा संख्या(पेनकार्ड) (प्रति संलग्न करें)	
8.	बैंक का नाम शाखा सहित (खाता कमांक लिखे)	
9.	स्वयं / फर्म / कंपनी के नाम कितने भारी माल वाहन (पंजीयन एवं vehicle particular की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	वाहन का पंजीयन कमांक
10.	वर्तमान में किस शासकीय / अर्द्धशासकीय / अन्य संस्था में परिवहन कार्य कर रहें, विवरण दें	
11.	घोषणा पत्र (संलग्न करे)	

12.	विगत दो वर्ष में शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य संस्था द्वारा परिवहन कार्य से प्रतिबंधित/परिवहन कार्य को पूर्ण नही करने एवं कालीसूची में दर्ज किया गया है, अथवा नही (हॉ/नही) में लिखे	
13.	निर्धारित जमा की गई अमानत राशि का विवरण	रूपये कुल ..... Demand Draft / Bank.Guarantee ..... दिनांक..... बैंक का नाम
14.	इस वित्तीय वर्ष के लिए विपणन संघ की अगर किसी अन्य निविदा में भाग लिया हो तो उसका विवरण	
15.	पूर्व वर्षों में अगर विपणन संघ का कोई कार्य किया गया हो तो उसका विवरण	
16.	परिवहन कार्य में नियोजित श्रमिकों का पी.एफ. कोड नं. एवं गतवर्ष जमा कराये गये पी.एफ. का प्रमाण–पत्र संलग्न करें।	
17.	मेरी/हमारी गत वर्ष में अमानत/प्रतिभूति राशि विपणन संघ के परिवहन निविदा अंतर्गत राजसात की गई है (हां तो विवरण दें)	
18.	इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची	

2. हमारी/मेरी निविदा फार्म में उल्लेखित की गई निविदा परिशिष्ट 1 में वर्णित स्थिति अनुसार वैध रहेगी, जिसे मानने के लिए हम/मैं बाध्य रहेंगे/रहूॅगा/रहूॅगी।
3. यदि विपणन संघ द्वारा हमें/मुझे धान/खाद्यान्न परिवहन कार्य सौंपा जाता है तो हम/मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार प्रतिभूति राशि एवं बैंक गारंटी जमा करके अनुबंध करने के लिये सहमत हैं/हूॅ।
4. हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं/करता हूॅ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे विश्वास एवं ज्ञान में सही है।

दिनांक .....
स्थान .....

हस्ताक्षर .....
नाम .....
फर्म का नाम .....
पूरा पता .....
हैसियत .....
मुहर .....

नोट :– इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरे एवं संपूर्ण कॉलम में प्रविष्टि अति आवश्यक है, अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ठ – 3

भाग – "ख"
(वित्तीय बीड हेतु)

धान/खाद्यान्न परिवहन कार्य हेतु पुनः अल्पकालीन निविदा फार्म खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 वित्तीय बीड का प्रारूप

खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में परिवहन कार्य हेतु विपणन संघ द्वारा अनुसूची की दर (SOR) तैयार किया गया है। स्लैबवार तैयार किये गये अनुसूची की दर को ध्यान में रखते हुए निविदाकार द्वारा अनुसूची की दर पर कमी/वृद्धि के आधार पर प्रतिशत में अपनी दरें प्रस्तावित की जानी है। अनुसूची की दर में लोडिंग/अनलोडिंग शामिल नही है।

निम्नानुसार तालिका हेतु जो दरें प्रस्तावित की जावेंगी उन दरों में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत धान तथा खाद्यान्न परिवहन पर वस्तु एवं सेवा कर देय नही है।

1. कार्यालय का नाम जिसके लिए निविदा दिया जा रहा है :–	
2. संग्रहण केन्द्र/इकाई का नाम जिसके लिए निविदा भरी जा रही है।	
3. निविदाकार का नाम, पूरा पता ई–मेल, दूरभाष नंबर	

क.	स्लैब (कि.मी)	अनुसूची की दर (SOR) (प्रति टन प्रति कि.मी.)
1	0–8 कि.मी. तक	8.70 (प्लैट दर) 8.70*8 KM=69.60 प्रति टन
2	8–20 कि.मी. तक	6.17 प्रति टन प्रति कि.मी.
3	20–40 कि.मी. तक	4.48 प्रति टन प्रति कि.मी.
4	40–80 कि.मी. तक	3.64 प्रति टन प्रति कि.मी.
5	80 कि.मी. से अधिक	3.05 प्रति टन प्रति कि.मी.

नोट :– 0 से 8 कि.मी. तक स्लैब में फ्लैट दर लागू होगा।

4- **निविदा दर**

क.	सेवा कार्य का विवरण	वृद्धि/कमी का प्रतिशत (+/-)
1	धान/खाद्यान्न अन्य सामग्री परिवहन कार्य हेतु निविदाकार द्वारा अनुसूची की दर के परिपेक्ष्य में प्रस्तावित वृद्धि/कमी का प्रतिशत (प्रति टन प्रति कि.मी.)	

- ❖ धान परिवहन कार्य हेतु निविदाकार द्वारा अनुसूची की दर के परिपेक्ष्य में प्रस्तावित वृद्धि/कमी का प्रतिशत (प्रति टन प्रति कि.मी.) के साथ ऑनलाईन–ई निविदा में ABOVE SOR एवं BELOW SOR अंकित करना अनिवार्य हैं।
- ❖ अनुसूची की दर के आधार पर निविदाकार द्वारा प्रस्तावित कमी/वृद्धि के प्रतिशत अनुसार निर्धारित स्लैब के अंतर्गत अधिकतम दूरी पर वास्तविक भुगतान की गणना हेतु excel calculater sheet पृथक से ऑनलाईन ई–प्रोक्युरमेंट पोर्टल पर उपलब्ध है। निविदाकारो से अनुरोध है कि दर प्रस्तावित करने के पूर्व ऑनलाईन ई–प्रोक्युरमेंट पर उपलब्ध excel calculater sheet के माध्यम से वास्तविक भुगतान की गणना का अवलोकन अवष्य करे।

परिशिष्ट – 4

घोषणा पत्र

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा धान/खाद्यान्न हेतु प्रकाशित निविदा सूचना तथा निविदा के आमंत्रण में दिये गये निर्देशों/निविदा/संविदा शर्तों, नियमों तथा इसके परिशिष्ट में दिये गये विवरण को भली भांति पढ़ लिया है, उनको समझ लिया है तथा हम/मैं उनके पालन के लिए सहमत हैं/हूँ।
2. उपरोक्त परिवहनकर्ता परिवहन टेंडर के संदर्भ में मेरे/हमारे द्वारा परिवहन हेतु उपरोक्तानुसार दरें दी जाती हैं। दरें धान/खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री के परिवहन हेतु प्रति टन प्रति कि.मी. है।
3. मैं/हमारे द्वारा विपणन संघ द्वारा परिवहन व्यवस्था को सुदृण रखने के लियलागू की जाने वाली व्यवस्था/प्रावधान को पालन करने के लिये बंधनकारी होगे तथा समय–समय पर संघ द्वारा की जा रही व्यवस्था को मानने के लिये सहमत हैं/हूँ।
4. उपरोक्त दर आपकी निविदा शर्तों की समस्त कंडिकाओं को मान्य करते हुए दी गई है। कार्यादेश प्राप्त होते ही तीव्रता से परिवहन कर सकूंगा एवं आवश्यकतानुसार बाहर से भी ट्रकें उपलब्ध कराकर कार्य समय–सीमा में संपन्न कर सकूंगा। यदि कार्य लिखित एवं मौखिक की सूचना मिलने पर समय सीमा के भीतर परिवहन का कार्य नहीं करता हूँ तो विपणन संघ नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। जिसमें आने वाले अतिरिक्त व्यय के लिये मैं स्वतः जवाबदार रहूँगा।
5. उपरोक्त निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो प्रबंध संचालक विपणन संघ या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
6. मैं/हमारे द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय बीड के लिये प्रस्तुत किये जा रहे दस्तावेज/सहपत्र के लिये संलग्न किये गये दस्तावेज हमारे ज्ञान/संज्ञान के अनुसार समस्त दस्तावेज पूर्ण रूप से वैध एवं प्रमाणिक है। इनकी वैधता/सत्यता के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद के लिये मैं/हम पूर्णरूप से जवाबदार होंगे। मै/हमारे द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बीड स्वीकार होने पर हमारे द्वारा तकनीकी बीड में ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाणपत्र, दस्तावेज की मूल प्रति तथा स्वप्रमाणित प्रति संघ द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करूंगा।

उपरोक्तानुसार घोषणा पत्र निविदाकार को अपने फर्म के लेटर हेड पर निविदा के तकनीकी बीड के अंतर्गत वांछित दस्तावेजो के साथ ऑनलाईन संलग्न करना अनिवार्य है।

निविदाकार के हस्ताक्षर

परिशिष्ट – 5

इकरारनामा

यह इकरारनामा दिनांक..... को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की शीर्ष सहकारी संस्था है, जिसका मुख्यालय सी.बी.डी. कमर्शियल कॉम्पलेक्स टॉवर ''सी'' 6 फ्लोर सेक्टर 21 मुख्यालय नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग) 492002 में है, जिसे आगे विपणन संघ के नाम से संबोधित किया है, कि ओर से पक्ष 01 जिला विपणन अधिकारी.....अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर तथा पक्ष 02 मेसर्स.....की ओर से श्री.....वल्द..... ..... जिला.....के निवासी है, जिसे की आगे परिवहनकर्ता के नाम से संबोधित किया गया है, के बीच निष्पादित किया गया है।

यह कि, परिवहनकर्ता द्वारा विपणन संघ के जिला कार्यालय ..... के अंतर्गत वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में निविदा स्वीकृति दिनांक.....से दिनांक ..... तक की अवधि को मेसर्स ..... जिला विपणन अधिकारी ..... के इकरारनामा में दर्शायी गयी दरों एवं शर्तों पर स्वीकार किया गया हैं।

यह कि परिवहनकर्ता द्वारा विपणन संघ के उपार्जन केन्द्र से संग्रहण केन्द्र तक जिले के अंदर एवं बाहर तक धान/खाद्यान्न को पहुंचाने का कार्य हेतु निम्नानुसार दर्शायी गयी दरों पर किया जावेगा और मैं/हम यह कार्य विपणन संघ की शर्तों पर करने के लिए पक्ष 02 पूर्ण सहमत है।

क.	स्लैब (कि.मी)	अनुसूची की दर (SOR) (प्रति टन प्रति कि.मी.)	धान/खाद्यान्न अन्य सामग्री परिवहन कार्य हेतु निविदाकार द्वारा अनुसूची की दर के परिपेक्ष्य में **वृद्धि/कमी का प्रतिशत** (प्रति टन प्रति कि.मी. प्रति)
1	0–8 कि.मी. तक	8.70 (प्लैट दर) 8.70*8 KM=69.60 प्रति टन	
2	8–20 कि.मी. तक	6.17 प्रति टन प्रति कि.मी.	
3	20–40 कि.मी. तक	4.48 प्रति टन प्रति कि.मी.	
4	40–80 कि.मी. तक	3.64 प्रति टन प्रति कि.मी.	
5	80 कि.मी. से अधिक	3.05 प्रति टन प्रति कि.मी.	

नोट :– 0 से 8 कि.मी. तक स्लैब में फ्लैट दर लागू होगा।

1. इस इकरारनामा के साथ पक्ष कमांक 02 द्वारा जमा की गई अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है।
2. परिवहनकर्ता को टी.ओ. जारी होने के पश्चात् 72 घण्टे के अंदर परिवहन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में विपणन संघ को यह अधिकार होगा कि किसी अन्य परिवहनकर्ता से परिवहन कर अंतर की राशि संबंधित परिवहनकर्ता से वसूली जावेगी तथा आगामी वर्षो के लिए परिवहनकर्ता को काली सूची में दर्ज किया जावेगा।

3. यदि पक्ष कमांक 02 के द्वारा ट्रक में परिवहन के लिए लोड किया गया पक्ष कमांक 01 का स्कंध निर्धारित समय के अंदर गंतव्य स्थान पर नही पहुॅचाया जाता है या सही हालत में नही पहुॅचता है अथवा अन्य प्रकार की हानि होती है तो वह हानि पक्ष कमांक 02 द्वारा पक्ष कमांक 01 को तीन दिवस के अंदर देय होगी। पक्ष कमांक 01 को यह अधिकार होगा कि, वह हानि की राशि की वसूली अमानत राशि/सुरक्षा निधि की राशि में से अथवा पक्ष कमांक 02 के लंबित बिलो से विधि अनुसार की जावेगी।
4. पक्ष 01 द्वारा पक्ष 02 को प्रदत्त स्कंध पक्ष 01 द्वारा निर्धारित स्थान एवं अधिकृत प्रतिनिधि को ही पक्ष 02 द्वारा देना होगा और सील व हस्ताक्षर सहित पावती लेनी होगी।
5. पक्ष 02 के द्वारा संग्रहण केन्द्र से स्कंध उसके ट्रक से लोड कर दिये जाने के पश्चात् मार्ग में कहीं भी उतारा नहीं जावेगा। स्कंध की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी पक्ष कमांक 02 पर होगी।
6. परिवहन के दौरान किसी भी कमी या क्षति हेतु पक्ष 02 ही उत्तरदायी होगा। पक्ष कमांक 01 द्वारा पक्ष कमांक 02 को सुनवाई का अवसर देकर कमी एवं क्षति की वसूली उसकी अमानत राशि अथवा भुगतान योग्य शेष राशि से वसूल कर सकेगा।
7. यदि पक्ष 02 के द्वारा ट्रक में परिवहन के लिए लोड किया गया पक्ष 01 का स्कंध निर्धारित समय के अंदर गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचाया जाता है या सही हालत में नहीं पहुंचता है, अथवा अन्य प्रकार की हानि होती है तो वह हानि पक्ष 02 द्वारा पक्ष 01 को तीन दिवस के अंदर देय होगी। पक्ष 01 को यह अधिकार होगा कि वह हानि की राशि की वसूली अमानत राशि/सुरक्षानिधि की राशि में से अथवा पक्ष 02 के लंबित बिलों से विधि अनुसार की जावेगी।
8. पक्ष 01 द्वारा पक्ष 02 को प्रदत्त स्कंध पक्ष 01 द्वारा निर्धारित स्थान एवं अधिकृत प्रतिनिधि को ही पक्ष 02 द्वारा देना होगा और सील व हस्ताक्षर सहित पावती लेनी होगी।
9. ढुलायी के लिए लगाये गये ट्रक सभी प्रकार से मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सही हालत में होना चाहिए। उसकी बीमा होना चाहिए और ट्रक पब्लिक कैरियर लाईसेन्स होना एवं रोड टैक्स, गुड्स टैक्स, टोल टैक्स इत्यादि पटाये जाने की जिम्मेदारी पक्ष 02 की होगी। यदि मोटर व्हीकल एक्ट की परिवहन अथवा मोटर संबंधित किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन होता है तो ट्रक परिवहनकर्ता मालिक एवं ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी, साथ ही स्कंध के लोड के लिए माल की हानि होती है या उसके गन्तव्य स्थान तक पहुंचने में विलंब होता है, तो उसकी जिम्मेदारी पक्ष 02 की होगी।
10. परिवहनकर्त्ता को उपार्जन केन्द्र से भंडारण केन्द्र तक का दूरी प्रमाण पत्र लोक निर्माण विभाग से प्राप्त कर जिला विपणन अधिकारी को प्रस्तुत करने के उपरांत ही परिवहन देयक का भुगतान किया जावेगा।
11. पक्ष 02 को परिवहन बिल प्रति सप्ताह प्रस्तुत करना होगा। स्कंध डिलेव्हरी देने के प्रमाण के रूप में जो केन्द्र जहां माल भेजा गया हो, पर नियुक्त पक्ष 01 के अधिकृत अभिकर्ता गोदाम कीपर या कोई अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया प्रमाण पावती ही बिल के साथ संलग्न करके देना होगा। जो पक्ष 02 स्कंध गन्तव्य स्थान पहुंचा देने के पश्चात् वहां के कोई अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर कराकर लावेगा। इस डिलेव्हरी मेमो पर स्कंध सुरक्षित हालत में डिलेव्हरी कर देने का प्रमाण भी अंकित किया जावेगा, यह पावती प्राप्ति की जिम्मेदारी पक्ष 02 की होगी। भुगतान पक्ष 01 से संबंधित जिला कार्यालय द्वारा बिल प्रस्तुती पर परीक्षण कर किया जाएगा।

12. पक्ष 02 को सौंपे गये स्कंध का परिवहन न्यूनतम दूरी वाले मार्ग से ही करेगा, अत्यावश्यक परिस्थिति में स्कंध का परिवहन अन्य मार्ग से वह तभी कर सकता है, जबकि इस हेतु उसने पक्ष 01 से लिखित अनुमति प्राप्त कर ली हो।
13. यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा न्यूनतम दर पर परिवहन का कार्य नही किया जाता है तो निविदाकर्ता की जमा अमानत राशि राजसात की जावेंगी एवं तीन वर्ष हेतु काली सूची में दर्ज किया जावेंगा एवं कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रबंध संचालक की अनुमति पश्चात् नजदीकी जिला के सफल निविदाकर्ता को अन्य जिला/जिलों को परिवहन कार्य की अनुमति दी जायेगी एवं उक्त परिवहनकर्ता अन्य जिले का परिवहन कार्य करने हेतु बाध्य होगा। यदि किसी भी जिला के परिवहनकर्ता को अन्य जिला का परिवहन कार्य दिया जाता है तो स्वयं के जिला के स्वीकृत परिवहन दर एवं अन्य जिला (जहॉ धान परिवहन कार्य किया जाना है) की स्वीकृत दर में से न्यूनतम दर लागू होगा।
14. विपणन संघ द्वारा स्वीकृत निविदाकार के साथ अनुबंध रहते हुये जिला विपणन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि जिले में जिस प्रकार का भी परिवहन कार्य कराया जावेगा निविदाकार द्वारा किया जावेगा एवं जिला विपणन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार पूरे जिलें में स्वीकृत दरों पर कही से भी कही परिवहन कार्य कराया जा सकता है जो निविदाकार को मान्य होगा।
15. यह इकरारनामा 02 वर्ष, दिनांक ..... तक वैध होगा। इस अवधि में कार्य नहीं होता अथवा नये निविदा नहीं होता, तो वर्तमान इकरारनामा की अवधि का तीन–तीन माह के खंड में अधिकतम एवं 01 वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकती है जिसके लिये परिवहनकर्ता बाध्य होगा तथा संविदा की अवधि में कोई निश्चित कार्य देने की गारंटी विपणन संघ की नहीं रहेगी।
16. पक्ष 02 अमानत राशि के अतिरिक्त इस इकरारनामा के साथ निर्धारित सुरक्षानिधि जमा कर रहा है।
17. परिवहनकर्ता द्वारा जो ट्रक परिवहन कार्य में लगाये जावेगें उसकी सूची उसी दिन जिला विपणन अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रेषित करेगा।
18. इस निविदा से संबंधित तथा अनुबंध से संबंधित किसी भी विषय, शर्त एवं किसी भी शर्त की व्याख्या आदि से संबंधित, इस अनुबंध के पूर्व इस अनुबंध एवं निविदा के पालन में समय अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न हुए किसी भी विवाद को किसी पक्ष द्वारा एक मात्र आर्बीट्रेटर को उस विवाद के निराकरण के लिये संदर्भित किया जावेगा। यह आर्बीट्रेटर प्रबंध संचालक विपणन संघ होंगे और उनके द्वारा दिया गया निर्णय/एवार्ड दोनों पक्षों को बंधनकारी एवं मान्य होगा।
19. धान/खाद्यान्न परिवहन हेतु निविदा प्रपत्र में दिये गये नियम एवं शर्तों तथा संबंधित दस्तावेज इस अनुबंध के अंग है।
20. धान/खाद्यान्न परिवहन हेतु समय–समय पर राज्य शासन एवं विपणन संघ द्वारा जारी निर्देश निविदा के भाग माने जायेगे।
21. मैं (पक्ष क्रमांक 2) इस बात की पुष्टि करता हूं कि हमें/मुझे उक्त दरों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार देय नहीं होगा। उपरोक्त दरों में सभी प्रकार के कर एवं अन्य वैधानिक उत्तरदायित्व सम्मिलित है।
22. जिले मे स्वीकृत दर पर अनुबंधित परिवहनकर्ता से जिला का समस्त धान का उपार्जन केन्द्रों से संग्रहण केन्द्रों में परिवहन कार्य करना होगा तथा निर्देशानुसार अन्य जिलों में भी धान परिवहन कार्य करने हेतु परिवहनकर्ता बाध्य होगा। यदि स्वयं के जिला से अन्य किसी जिला में धान परिवहन किया जावेगा तो मूल स्थल (point of Origin) की स्वीकृत परिवहन दर पर भुगतान देय होगा।

23. निविदाकार के दिवालिया होने अथवा उनके व्यवसाय बंद होने अथवा लेनदारी शेष होने अथवा अनुबंध के किसी भी प्रावधान या अनुबंध के किसी भी नियम व शर्तों के पालन करने में विफल होने की स्थिति में प्रबंध संचालक, विपणन संघ को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा अनुबंध की शेष समयावधि में रिस्क एण्ड कॉस्ट के तहत निविदाकार से शेष अनुबंध अवधि में विपणन संघ को हुई हानि की वसूली निविदाकार से की जावेगी।

24. धान परिवहन में नियोजित समस्त वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगवाना अनिवार्य है। धान के परिवहन में गतवर्षानुसार पी.डब्लू.डी. द्वारा सत्यापित दूरी एवं जीपीएस दूरी में से न्यूनतम दूरी के आधार पर देयक का भुगतान किया जावेगा।

25. पक्ष क्रमांक 2/परिवहनकर्ता के द्वारा निविदा के नियम एवं शर्त अनुसार धान परिवहन में नियोजित समस्त वाहनो में जी.पी.एस सिस्टम लगवाना अनिवार्य होगा। बिना जी.पी.एस के वाहनो के लिए डी.एम. पर्ची जारी नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक ..... को इकरारनामा में हस्ताक्षर किये।

गवाह :–

1. नाम .....
   पता .....
   .....
   हस्ताक्षर .....

पक्ष 01 छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ की ओर से

2. नाम .....
   पता .....
   हस्ताक्षर .....

पक्ष 02 परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

परिशिष्ट – "6"

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1. This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on day of the month 20, between, the **Chhattisgarh State Co-operative Marketing Federation Ltd.** acting through Shri_____(Designation of the officer, Department) (hereinafter called the "**BUYER/PRINCIPAL**", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (Name of the Stores/Equipment/Work/Service/Materials) and M/s._____ represented by Shri_____ Chief Executive Officer/Authorised Signatory (hereinafter called the **"BIDDER/SELLER/CONTRACTOR"**, which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/ has offered.

1.2. WHEREAS the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is a Private Company/Public Company/ Government Undertaking/ Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER/PRINCIPAL is a Registered Co-operative Society under the provisions of Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to:-

2.1. Enabling the BUYER/PRINCIPAL to obtain the desired Stores/Equipment /Work/Service/Materials at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and.

2.2. Enabling BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER/PRINCIPAL will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER/PRINCIPAL

The BUYER/PRINCIPAL commits itself to the following:-

3.1. The BUYER/PRINCIPAL undertakes that no official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2. The BUYER/PRINCIPAL will, during the pre-contract stage, treat all BIDDER /SELLER/CONTRACTORs alike, and will provide to all BIDDER/ SELLER/ CONTRACTORs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR which could afford an advantage to that particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR in comparison to the other BIDDER/SELLER/CONTRACTORs.

3.3. All the officials of the BUYER/PRINCIPAL will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL with the full and verifiable facts and the same is *prima facie* found to be correct by the BUYER/PRINCIPAL, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER/PRINCIPAL and such a person shall he debarred from further dealings related to the contract process. In such a case, while an enquiry is being conducted by the BUYER/PRINCIPAL, the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDER/SELLER/CONTRACTORS

The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

4.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further confirms and declares to the BUYER/PRINCIPAL that the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER/PRINCIPAL or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER/PRINCIPAL or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER/PRINCIPAL as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8. The BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify B1DDER's exclusion from the tender process.

5.2. If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR makes incorrect statement on this subject, BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1. Every BIDDER/SELLER/CONTRACTOR while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP/Tender Documents as Earnest Money/Security, Deposit, with the BUYER/PRINCIPAL through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favour of...

(ii) A confirmed guarantee by an Indian Nationalised Bank, promising payment of the guaranteed sum to the..... (BUYER/PRINCIPAL) on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER/PRINCIPAL shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP/Tender Documents).

6.2. The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR and BUYER/PRINCIPAL, including warranty period, whichever is later.

6.3. In the case of successful BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the BUYER/PRINCIPAL to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4. No interest shall be payable by the BUYER/PRINCIPAL to the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1. Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR) shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to take all or *any* one of the following actions, wherever required:-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR. However, the proceedings with the other BIDDER/ SELLER /CONTRACTOR(s) would continue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER/PRINCIPAL and the BUYER/ PRINCIPAL shall not be required to assign any reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER/PRINCIPAL, and in case of the Indian BIDDER/SELLER/CONTRACTOR with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate of _____ (Name of the Bank/Financial Institution) while in case of a BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from a country other than India with Interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from the BUYER/ PRINCIPAL in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished *by* the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR, in order to recover the payments, already made by the BUYER/PRINCIPAL, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contracts with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such cancellation/rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

(vii) To debar the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from participating in future bidding processes of the BUYER/ PRINCIPAL for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER/ PRINCIPAL.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) to *any* middlemen or agent or broken with a view to securing the contract.

(ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER/PRINCIPAL with the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER /SELLER/CONTRACTOR or any employee of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any person acting on behalf of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER/PRINCIPAL, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER/PRINCIPAL has financial interest/stake in the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR's firm, the same

shall be disclosed by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR at the time of tilling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to rescind the contract without payment of *any* compensation to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependent upon Government servant

(xi) The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER/PRINCIPAL, and if he does so, the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR. The BIDDER /SELLER/ CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

7.2. The decision of the BUYER/PRINCIPAL to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR shall be final and conclusive on the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR. However, the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would he refunded by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL, if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT' MONITORS

9.1. The BUYER/PRINCIPAL will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2. The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3. The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4. Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR Subcontractor(s) with confidentiality.

9.5. As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by *the* BUYER/PRINCIPAL.

9,6. The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/PRINCIPAL/Secretary of the BUYER/PRINCIPAL within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/ PRINCIPAL/ BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations

10. FACILITATION OF INVESTIGATION

in case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER/PRINCIPAL or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination,

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER/PRINCIPAL i.e at **RAIPUR Chhattisgarh**.

12. OTHER LEGAL ACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

13.1. The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR whichever is later, In case BIDDER/SELLER /CONTRACTOR is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2. If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; *the* remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at ..... on.....

BUYER/PRINCIPAL

BIDDER/SELLER/CONTRACTOR

Name of the Officer
CHIEF EXECUTIVE OFFICER/AUTHORISED SIGNATORY
Destination
Chhattisgarh State Co-operative Marketing Fed.Ltd.

Witness **Witness**

1) _____ **1)** _____

2) _____ **2)** _____

परिशिष्ट 7

(एक सौ रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जायेगा)

शपथ पत्र

मैं/हम.....यह निष्ठापूर्वक कथन करता हूँ/करते है कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर द्वारा परिवहन निविदा के अंतर्गत निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाएं की कंडिका 2 अनुसार एक जिले हेतु प्रस्तुत ट्रक दूसरे जिलेंहेतु प्रस्तुत करना पाया जाता है तो निविदा अमान्य की जावेंगी। तो उसके लिये मैं/हम जिम्मेदार/जवाबदार होंगे एवं निविदा निरस्त/अमान्य की जावें।

स्थान..... **निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील**

1.....

2.....

फोन नं. (कार्यालय).....

घर.....मोबाइल नं.....

.....

Sr.	District Name	Bank Name	Account No.	IFSC Code
1	Raigarh	SBI	10535703364	SBIN0003019
2	Rajnandgaon	SBI	39743724805	SBIN0007939
3	Kawardha	SBI	11219095279	SBIN0000406
4	Mohla-Manpur-Ambagarh	Bank of Baroda	87420200001332	BARB0DBMOHL
5	Gaurela Pendra Marwahi	SBI	41510587785	SBIN0001120
6	Sakti	SBI	41427758181	SBIN0000571
7	Raipur	SBI	39727114618	SBIN0060301
8	Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur	SBI	41446789398	SBIN0000425
9	Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai	SBI	41418587330	SBIN0000524
10	Sarangarh	SBI	41424747423	SBIN0000543
11	Kondagaon	SBI	32802306576	SBIN0001265
12	Balrampur	SBI	33327273622	SBIN0015464
13	Balod	SBI	32697887331	SBIN0000320
14	Gariaband	SBI	32674715084	SBIN0004745
15	Surajpur	SBI	33323233694	SBIN0000576
16	Bijapur	SBI	33726419784	SBIN0002835
17	Sukhma	SBI	36109887538	SBIN0002894
18	Baloda Bazar	SBI	32773029625	SBIN0001048
19	Korba	SBI	10427223292	SBIN0006047
20	Mungeli	SBI	32781531434	SBIN0001144
21	Durg	SBI	10563772472	SBIN0000370
22	Kanker	SBI	11229285587	SBIN0000401
23	Mahasamund	SBI	10757269309	SBIN0000416
24	Koriya	SBI	11032259558	SBIN0000449
25	Jashpur	SBI	10913924422	SBIN0000542
26	Narayanpur	SBI	32799136558	SBIN0002878
27	Dantewada	SBI	10753199479	SBIN0000545
28	Ambikapur	SBI	10905979888	SBIN0000310
29	Bilaspur	SBI	10826084988	SBIN0000336
30	Dhamtari	SBI	10800865449	SBIN0000361
31	Jagdalpur	SBI	10456193099	SBIN0000392
32	Janjgir	SBI	10784114104	SBIN0000395
33	Bemetara	SBI	32721002365	SBIN0000296